



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में मौके पर समझौते के बाद भी क्या पुलिस मामूली सड़क दुर्घटना का केस दर्ज कर सकती है, बीएनएस और मोटर यान अधिनियम के तहत दुर्घटना पर कौन से अपराध लागू होते हैं, और दुर्घटना के तुरंत बाद चालक को कानूनन क्या करना चाहिए?”

भारत में समझौते के बाद सड़क दुर्घटना में पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का अधिकार, बीएनएस तथा मोटर यान अधिनियम के तहत लागू होने वाले अपराध और दुर्घटना के तुरंत बाद चालक के वैधानिक कर्तव्य

सारांश

भारत में सड़क पर आपसी समझौते (compromise) के बावजूद पुलिस मामूली दुर्घटना का केस (प्राथमिकी) दर्ज कर सकती है, क्योंकि लापरवाही से वाहन चलाना एक संज्ञेय (cognizable) अपराध है। हालांकि, मामूली सड़क दुर्घटनाओं में यदि पक्षों के बीच स्वैच्छा से समझौता हो गया है, तो उच्च न्यायालय बीएनएस (BNSS) की धारा 528 (या CrPC की धारा 482) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके ऐसी प्राथमिकी को रद्द कर सकते हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने *Ashutosh Kumar v. State of H.P.* (2025) में स्थापित किया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 281 और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134/187 के तहत दुर्घटना के तुरंत बाद चालक का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान करे और 24 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट करे; ऐसा न करने पर कारावास और जुर्माने का दंड भुगतना पड़ सकता है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
22	4	2025
19 उच्च न्यायालय • 3 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Punjab and Haryana

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार

सड़क पर निजी तौर पर हुए समझौते के बावजूद यदि घटना में संज्ञेय अपराध (जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना या चोट पहुँचाना) प्रदर्शित होता है, तो पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत है क्योंकि प्राथमिकी मात्र जांच का प्रारंभिक द्वार है, न कि कोई अंतिम निष्कर्ष, *Jahanara Begum v. The State* (2025)।

02 समझौते के आधार पर मामूली मुकदमों को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

यदि सड़क दुर्घटना मामूली प्रकृति की है और दोनों पक्षों में सद्भावपूर्ण सुलह हो चुकी है, तो उच्च न्यायालय सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने और न्यायिक समय की बचत के लिए प्राथमिकी और संबंधित कार्यवाही को निरस्त (quash) कर सकता है, *Ashutosh Kumar v. State of H.P.* (2025) और *Sahil Kaushal @ Sahil and others v. State of Haryana and another* (2025)।

03 सार्वजनिक नीति एवं गंभीर अपराधों में समझौतों की अस्वीकार्यता

गंभीर आपराधिक प्रकृति या व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले मामलों (जैसे POCSO या हत्या का प्रयास) में निजी तौर पर किया गया समझौता प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता, *Ramji Lal Bairwa & Anr. v. State of Rajasthan & Ors.* (2024)।

04 दुर्घटना के समय चालक पर आरोपित वैधानिक उत्तरदायित्व

मोटर यान अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत दुर्घटना के तुरंत बाद घायल को बिना किसी प्रक्रियात्मक औपचारिकता के तत्काल चिकित्सा सहायता पहुँचाना और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करना चालक का अनिवार्य कर्तव्य है, जिसका उल्लंघन धारा 187 के तहत दंडनीय है, *Basappa v. State of Karnataka* (2014) और *Shibu Bhowmik v. State of Tripura* (2025)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra (2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिट-एंड-रन और लापरवाही से दुर्घटना के गंभीर मामलों में भी आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताना एक संवैधानिक सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त, *Basappa v. State of Karnataka* (2014) में यह स्पष्ट किया गया कि पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना चालक को केवल परिस्थितियों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने <i>Ashutosh Kumar v. State of H.P.</i> (2025) में मामूली दुर्घटना के मामले (BNS की धारा 281) में समझौते को मंजूरी देकर कार्यवाही को रद्द कर दिया, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने <i>Sahadev Sahoo v. The State</i> (2025) जैसे मामलों में यह स्पष्ट किया कि प्रारंभिक या जांच के चरण में जहाँ गंभीर आरोप लंबित हों, वहाँ एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।
हाल का विकास	2024 और 2025 के मामलों (जैसे <i>Dheeraj Yadav v. State of Haryana</i> (2024) और <i>Sana v. State of UT Chandigarh</i> (2025)) में अदालतों ने बीएनएस (BNS), 2023 और बीएनएसएस (BNSS), 2023 के तहत गैर-समझौता योग्य (non-compoundable) धाराओं में भी पक्षों के बीच हुए वास्तविक समझौतों को स्वीकार करते हुए न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द किया है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 134, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — DUTY OF DRIVER IN CASE OF ACCIDENT AND INJURY TO A PERSON

दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करना, 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करना और बीमा कंपनी को लिखित विवरण प्रदान करना चालक का कानूनी कर्तव्य है।

"When any person is injured or any property of a third party is damaged, as a result of an accident in which a motor vehicle is involved, the driver of the vehicle or other person in charge of the vehicle shall--

(a) unless it is not practicable to do so on account of mob fury or any other reason beyond his control, take all reasonable steps to secure medical attention for the injured person, by conveying him to the nearest medical practitioner or hospital, and it shall be the duty of every registered medical practitioner or the doctor on the duty in the hospital immediately to attend to the injured person and render medical aid or treatment without waiting for any procedural formalities, unless the injured person or his guardian, in case he is a minor, desires otherwise;

(b) give on demand by a police officer any information required by him, or, if no police officer is present, report the circumstances of the occurrence, including the circumstances, if any, for not taking reasonable steps to secure medical attention as required under clause (a), at the nearest police station as soon as possible, and in any case within twenty-four hours of the occurrence.

(c) give the following information in writing to the insurer, who has issued the certificates of insurance, about the occurrence of the accident, namely:---

(i) insurance policy number and period of its validity;

(ii) date, time and place of accident;

(iii) particulars of the persons injured or killed in the accident;

(iv) name of the driver and the particulars of his driving licence." उद्धृत: Naranbhai Rupabhai Mata v. State of Gujarat

SECTION 279, INDIAN PENAL CODE, 1860 — RASH DRIVING OR RIDING ON A PUBLIC WAY

यह धारा सार्वजनिक मार्ग पर मानव जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही या खतरनाक गति से वाहन चलाने को दंडनीय अपराध घोषित करती है।

"Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both." उद्धृत: Court on its own motion v. Union of India

SECTION 187, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — PUNISHMENT FOR OFFENCES RELATING TO ACCIDENT

यह धारा दुर्घटना के बाद ड्राइवर द्वारा धारा 134 के तहत अनिवार्य चिकित्सा सहायता और रिपोर्टिंग कर्तव्यों का पालन न करने पर कारावास और जुर्माने का दंड निर्धारित करती है।

"Whoever fails to comply with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 132 or section 133 or section 134 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine of five thousand rupees, or with both or, if having been previously convicted of an offence under this section, he is again convicted of an offence under this section, with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine of ten thousand rupees, or with both." उद्धृत: Basappa v. State of Karnataka, Shibu Bhowmik v. State of Tripura

SECTION 281, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — RASH DRIVING OR RIDING ON A PUBLIC WAY

यह धारा सार्वजनिक मार्ग पर असावधानी या लापरवाही से वाहन चलाने को दंडित करती है जिससे मानव जीवन संकट में पड़े या किसी व्यक्ति को चोट पहुँचना संभावित हो।

"Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both." उद्धृत: Shibu Bhowmik v. State of Tripura

III. चर्चित मुकदमे

22 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Sahil Kaushal @ Sahil and others v. State of Haryana and another</i> PHHC010715192025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	समझौते के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक समय की बर्बादी है।
02	<i>Ramji Lal Bairwa & Anr. v. State of Rajasthan & Ors.</i> ESCR010006682024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	गंभीर और सामाजिक प्रभाव वाले अपराधों को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।
03	<i>Basappa v. State of Karnataka</i> ESCR010004092014	SUPREME COURT OF INDIA	2014	चालक की पहचान और लापरवाही के प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना दोषसिद्धि अमान्य है।
04	<i>Gurjeet Singh v. State of Punjab</i> PHHC010822152025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों में वास्तविक समझौते के बाद एफआईआर रद्द करना न्यायसंगत है।
05	<i>Ayan Ahmed & Anr. v. GNCT Delhi & Anr.</i> DLHC010074782024	HIGH COURT OF DELHI	2024	मामूली गति विवाद में छात्रों के बीच हुए समझौते से सामाजिक सौहार्द बढ़ता है।
06	<i>Shibu Bhowmik v. State of Tripura</i> TRHC010006702025	HIGH COURT OF TRIPURA	2025	दुर्घटना और लापरवाही से मौत में बीएनएस 281/105/106 और एमवी एक्ट लागू होते हैं।
07	<i>Saurabh Rai alias Saurav Kumar v. State of NCT of Delhi</i> DLHC010764852024	HIGH COURT OF DELHI	2024	गैर-घातक चोट के मामलों में स्वैच्छिक समझौते पर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है।
08	<i>Balwinder Singh v. State of Punjab and Anr.</i> PHHC010759152023	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	समझौते के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
09	<i>Court on its own motion v. Union of India</i> DLHC012496012015	HIGH COURT OF DELHI	2016	लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एमवी एक्ट की धारा 19 में लाइसेंस रद्द हो सकता है।
10	<i>Dheeraj Yadav v. State of Haryana</i> PHHC011541802024	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2024	गैर-समझौता योग्य अपराधों में भी यदि दोषसिद्धि की संभावना न हो तो एफआईआर रद्द होगी।
11	<i>Ashutosh Kumar v. State of H.P.</i> HPHC010485812025	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	मामूली दुर्घटना मामले में पक्षों में समझौते के बाद कार्यवाही जारी रखना निरर्थक है।
12	<i>Jahanara Begum v. The State</i> WBCHCP0001882025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	जांच के प्रारंभिक चरण में एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह संपूर्ण विश्वकोश नहीं है।
13	<i>K. Bhaskar Rao v. The State and Others</i> WBCHCP0001912025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	संज्ञेय अपराध के संदेह पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का पूरा अधिकार है।
14	<i>Sahadev Sahoo v. The State</i> WBCHCP0001902025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	जब तक जांच लंबित है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, एफआईआर रद्द करना अनुचित है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
15	<i>T. Madhavi v. The State</i> WBCHCP0001872025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	केवल दूसरे दृष्टिकोण की संभावना के आधार पर लंबित जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
16	<i>Vinita Sharma v. The State</i> WBCHCP0001892025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	नागरिक प्रकृति की आड़ में संज्ञेय अपराध होने पर प्राथमिकी की जांच आवश्यक है।
17	<i>Aneena Anto v. The State</i> WBCHCP0001862025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	संज्ञेय मामलों में प्राथमिक साक्ष्य होने पर प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज होगी।
18	<i>Sana v. State of UT Chandigarh</i> PHHC010486582025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	विवाद सुलझने पर शर्तों और जुर्माने के साथ एफआईआर निरस्त की जा सकती है।
19	<i>Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra</i> ESCR010005712025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	दुर्घटना के गंभीरतम मामलों में भी आरोपी को गिरफ्तारी का लिखित आधार देना अनिवार्य है।
20	<i>Naranbhai Rupabhai Mata v. State of Gujarat</i> GJHC240367872009	HIGH COURT OF GUJARAT	2012	वाहन मालिक को चालक के लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।
21	<i>Rohit Das v. The State and Others</i> WBCHCP0001852025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	शिकायत में संज्ञेय अपराध का संदेह होने पर प्राथमिकी और जांच पूरी तरह वैध है।
22	<i>Guru Swain v. State of Odisha</i> ODHC010246532025	ORISSA HIGH COURT	2025	समझौते के बाद कोर्ट कुछ अपराध रद्द कर सकता है और शेष को कपाउंड करने की अनुमति देता है।

IV. मुकदमे का विवरण 22 केस फ़ाइलें

01 Sahil Kaushal @ Sahil and others v. State of Haryana and another

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-08-22 • CRM-M/25723/2025

यह मामला Section 482 Cr.P.C. के तहत FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो आपसी समझौते के आधार पर दायर की गई थी। petitioners पर Sections 115, 190, 191 (2), और 351 (3) of BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने trial court से समझौते की सत्यता की रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें यह पुष्टि हुई कि समझौता स्वैच्छिक था।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि समझौते के बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाना न्यायिक समय की बर्बादी होगी। मामले के तथ्यों को देखते हुए दोषसिद्धि की संभावना बेहद कम थी, अतः प्राथमिकी को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक था।

“It is evident that in view of the amicable resolution of the issues amongst the parties, no useful purpose would be served by continuation of the proceedings. The furtherance of the proceedings is likely to be a waste of judicial time and there appears to be no chances of conviction. In view of above, FIR No. 49 dated 16.02.2025(Annexure P-1) registered under Sections 115, 190,191 (2),351 (3) of BNS registered at Police Station Shri Sector 17, HUDA, District Yamunanagar qua the petitioner on the basis of a compromise dated 24.04.2025 (Annexure P- 2), is quashed qua the petitioners. The present petition is hereby allowed.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010715192025

02 Ramji Lal Bairwa & Anr. v. State of Rajasthan & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-11-07 • 2024 INSC 846

यह मामला एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ IPC, POCSO Act और SC/ST Act के तहत FIR दर्ज की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी और पीड़िता के पिता के बीच हुए समझौते के आधार पर FIR और कार्यवाही को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि POCSO Act जैसे गंभीर और सामाजिक प्रभाव वाले अपराधों को निजी मामला नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर Section 482 Cr.P.C. के तहत FIR रद्द करना कानून के उद्देश्यों के विरुद्ध है। साथ ही, यदि राज्य या पीड़ित पक्ष न्याय की विफलता के खिलाफ अपील नहीं करते हैं, तो एक तीसरे पक्ष को भी Article 136 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पक्षों के बीच हुआ समझौता हर मामले में प्राथमिकी निरस्त करने का आधार नहीं बन सकता। गंभीर सामाजिक प्रकृति के अपराध व्यक्तिगत समझौते से परे हैं और ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को प्राथमिकी निरस्त करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

“A perusal of the impugned order would reveal that without even referring to the alleged offence and thereby without looking into the nature and gravity of the offence, solely relying upon the compromise, the High Court observed... bearing in mind the allegations in the subject FIR, it would reveal that the High Court has misread and misapplied the law laid down in Gian Singh’s case (supra) to quash the subject FIR and all further proceedings based in pursuance thereof.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010006682024

03 Basappa v. State of Karnataka

SUPREME COURT OF INDIA • 2014-02-27 • 2014 INSC 147

यह मामला एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है जिसमें एक दो वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को Sections 279 और 304A IPC के तहत बरी कर दिया था, क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि आरोपी ही ट्रैक्टर चला रहा था। हालांकि, High Court ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सड़क दुर्घटना के मामलों में लापरवाही से गाड़ी चलाने (धारा 279 आईपीसी) और चालक के कर्तव्य (धारा 134 एमवी एक्ट) के उल्लंघन का आरोप केवल तभी मान्य होगा जब चालक की पहचान और आपराधिक लापरवाही प्रत्यक्ष साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित हो।

“Therefore, the alleged offence could only be non-compliance of Section 134... There is also no direct evidence with regard to the ingredients of Sections 279 and 304A of IPC. The High Court, on re-appreciation of the evidence, has taken another view so as to convict the accused.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2014

स्रोत ESCR010004092014

04 Gurjeet Singh v. State of Punjab

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-07-31 • CRM-M/28291/2025

यह मामला FIR No. 36, जो 26 मार्च 2025 को Police Station Qadian में दर्ज की गई थी, को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर BNS की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। पक्षों के बीच 12 मई 2025 को एक समझौता हुआ था। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि समझौता स्वैच्छिक था और किसी दबाव में नहीं था।

निर्णय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब पक्षों ने स्वैच्छिक रूप से बिना किसी दबाव के समझौता कर लिया हो, तो प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाहियों को निरस्त करना न्यायसंगत है ताकि पक्ष शांतिपूर्वक जीवन जी सकें।

“Consequently, the petition is allowed. FIR No.36 dated 26.03.2025 under Sections 115(2), 118(1), 191(3), 190, 351(3) of BNS (Section 118(2), 109, 303(2) BNS added later on)... and all consequential proceedings arising therefrom on the basis of compromise... are, hereby, quashed qua the petitioners.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010822152025

05 Ayan Ahmed & Anr. v. GNCT Delhi & Anr.

HIGH COURT OF DELHI • 2024-04-09 • CRL.M.C./1346/2024

यह मामला FIR No. 339/2023 के निरस्तीकरण (quashing) से संबंधित है, जो Sections 354, 354A, 323, 506, 509, और 34 IPC के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता (Respondent No. 2) के बीच एक सड़क विवाद के बाद यह FIR दर्ज हुई थी। पक्षों ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है और एक Settlement Deed निष्पादित की है। न्यायालय ने पाया कि चूंकि विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का था और दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से समझौता कर लिया है, इसलिए मुकदमे को जारी रखने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। तदनुसार, न्यायालय ने Section 482 Cr.P.C. के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त FIR और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद और उसके बाद दर्ज प्राथमिकी को समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही जारी रखना उत्पीड़न और समय की बर्बादी होगी।

“On the face of record, incident appears to have occurred over a minor altercation of overspeeding of car by petitioners, who are college students and express remorse over the incident. In view of compromise between the parties, the possibility of conviction in such a case is remote and continuation of proceedings would cause oppression and grave prejudice to the accused.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010074782024

06 Shibu Bhowmik v. State of Tripura

HIGH COURT OF TRIPURA • 2025-07-04 • BA/32/2025

यह मामला एक बेल एप्लिकेशन से संबंधित है जिसमें आरोपी पर Section 281/105 of BNS, 2023 और Motor Vehicles Act के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि यह मामला Section 106(1) of BNS, 2023 के दायरे में आता है, न कि Section 105 के, और पुलिस ने केवल परेशान करने के लिए गलत धाराएं लगाई हैं। वहीं, सरकारी वकील ने दलील दी कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ Section 105 of BNS का अपराध स्पष्ट है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए बेल की सुनवाई की।

निर्णय न्यायालय ने दुर्घटना से संबंधित मामलों में बीएनएस (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), धारा 105/106 (लापरवाही से मृत्यु) और मोटर यान अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) और धारा 187 (रिपोर्ट न करने पर सजा) के कानूनी अंतर्संबंधों पर विस्तृत चर्चा की।

“Pur PS case No.46 of 2025 (RKP0046 dated 22.03.2025) under Section 281/105 of BNS, 2023 and also under Section 184/187 of MV Act... The aforesaid provision [Section 106 BNS] also corresponds to Section 304A of IPC with some modifications.”

HIGH COURT OF TRIPURA • 2025

स्रोत TRHC010006702025

07 Saurabh Rai alias Saurav Kumar v. State of NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2024-11-05 • W.P.(CRL)/3448/2024

यह मामला FIR संख्या 0386/2024 को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका है, जो Section 109(1) of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता (Respondent no. 2) के बीच एक खिलौना बंदूक से खेल के दौरान अनजाने में चोट लगने का विवाद था। बाद में, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया और शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष पुष्टि की कि उसने बिना किसी दबाव के समझौता किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने Gian Singh vs. State of Punjab के सिद्धांतों का पालन करते हुए, विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को देखते हुए FIR और उससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि गैर-घातक (non-fatal) शारीरिक चोटों के मामलों में जहां पक्षों ने स्वेच्छा से अपनी सहमति से समझौता कर लिया है, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत प्राथमिकी को निरस्त कर सकता है।

“In view of the settlement arrived at parties, contents of the complainant’s affidavit and the law laid down by the Hon’ble Supreme Court in Gian Singh (Supra)... and the injury caused by the petitioner to the respondent no. 2 is non-fatal in nature... No fruitful purpose would be served by keeping the matter pending.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010764852024

08 Balwinder Singh v. State of Punjab and Anr.

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-04-24 • CRM-M/29590/2023

यह मामला FIR संख्या 0109, जो 24.07.2017 को दर्ज की गई थी, को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर Section 528 of the BNSS, 2023 (पूर्व Section 482 Cr.P.C.) के तहत राहत मांगी थी। निचली अदालत ने एक रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि की कि समझौता वास्तविक, स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के हुआ है। उच्च न्यायालय ने पक्षों के बयानों और रिपोर्ट पर विचार करते हुए, न्याय के हितों को सुरक्षित रखने और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उक्त FIR और उससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय सुनाया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि आपसी समझौते के बाद भी आपराधिक कार्यवाही को चालू रखना न्यायिक समय को नष्ट करना और आरोपी का अनावश्यक उत्पीड़न करना है, अतः इसे निरस्त करना ही कानून की उचित प्रक्रिया है।

“Power under Section 482 Cr.P.C./Section 528 BNSS can be exercised to enhance social amity, and to reduce friction. Disputes which have their genesis in... commercial transactions and other such matters can safely be dealt with by the Court... in the event of a compromise...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010759152023

09 Court on its own motion v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2016-07-20 • W.P.(C)/5072/2015

यह मामला दिल्ली में बढ़ती 'road rage' की घटनाओं से संबंधित है। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (suo moto) लिया था और बाद में इससे संबंधित एक जनहित याचिका को भी साथ जोड़ दिया गया। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने बताया कि वे जन जागरूकता अभियानों, सोशल मीडिया, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और कठोर प्रवर्तन उपायों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय ने पाया कि दिल्ली में जनसंख्या और वाहनों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ है। अंततः, न्यायालय ने अधिकारियों के प्रयासों पर संतोष जताते हुए जन जागरूकता और बेहतर ट्रैफिक नियमों के कार्यान्वयन पर जोर दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि लापरवाही से गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है और मोटर यान अधिनियम की धारा 19 के तहत लाइसेंस रद्द करने जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयां कड़ाई से लागू की जानी चाहिए।

“Rash driving is undoubtedly one of the main reasons for the incidents of road rage. It is pointed out by the learned counsels that rash driving is an offence punishable under Section 279 of IPC... For instance, Section 19 empowers the Licensing Authority to revoke the driving licence for various reasons enumerated therein.”

HIGH COURT OF DELHI • 2016

स्रोत DLHC012496012015

10 Dheeraj Yadav v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024-12-19 • CRM-M/55971/2024

यह मामला FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो याचिकाकर्ताओं और पीड़ित पक्ष के बीच आपसी समझौते के आधार पर दायर की गई थी। अभियुक्तों पर BNS, 2023 की धाराओं 308(5), 333, और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। चूंकि ये अपराध गैर-समझौता योग्य (non-compoundable) थे, न्यायालय ने अपनी निहित शक्तियों (inherent powers) का उपयोग करते हुए इस पर विचार किया। न्यायालय ने पाया कि समझौता स्वेच्छा से किया गया था और इसमें कोई दबाव या धमकी नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो FIR को रद्द किया जा सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने FIR और उससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही कुछ अपराध कानून के तहत गैर-समझौता योग्य हों, फिर भी यदि पक्षकारों ने सुलह कर ली है और मुकदमे में दोषसिद्धि की संभावना शून्य है, तो उच्च न्यायालय के पास प्राथमिकी रद्द करने की पूर्ण शक्ति है।

“Hon’ble Supreme Court holds... simply because an offence is not compoundable under Section 320 Indian Penal Code is by itself no reason for the High Court to refuse exercise of its power under Section 482 Criminal Procedure Code That power can in our opinion be exercised in cases where there is no chance of recording a conviction against the accused and the entire exercise of a trial is destined to be an exercise in futility.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024

स्रोत PHHC011541802024

11 Ashutosh Kumar v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-09-11 • CRMM0/769/2025

यह मामला Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो Sections 281 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) और Sections 181 और 185 of the Motor Vehicles Act के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप था। जांच के दौरान, पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। शिकायतकर्ता (respondent No. 3) ने न्यायालय में यह बयान दिया कि वे अब मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच सुलह हो जाने से मामले को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अतः, न्यायालय ने शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से FIR और उसके परिणामस्वरूप चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि सड़क दुर्घटना में लापरवाही से गाड़ी चलाने (BNS की धारा 281) के मामले में यदि पक्षों के बीच समझौता हो गया है, तो प्राथमिकी को रद्द किया जाना समाज में शांति बनाए रखने और अदालत का समय बचाने के लिए सर्वोत्तम है।

“The primary purpose of law is to maintain peace in the society and when, the parties to the lis... have buried their disputes and compromised the matter, then, the continuation of the criminal proceedings, arising out of the FIR in question... would certainly amount to abuse of the process of law.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010485812025

Jahanara Begum v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/13/2025

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो संपत्ति के लेन-देन में कथित धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद मुख्य रूप से खरीदारों और दलालों के बीच है, जो प्रकृति में सिविल (Civil) है, और मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का आदेश देते समय उचित विचार नहीं किया। न्यायालय ने माना कि FIR कोई विस्तृत साक्ष्य दस्तावेज़ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) की जांच शुरू करना है। चूंकि जांच अभी जारी है और आरोप पत्र (Charge sheet) दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय ने इस स्तर पर FIR रद्द करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के प्रारंभिक या जांच के चरण में अदालतों को प्राथमिकी को रद्द नहीं करना चाहिए यदि शिकायत से किसी संज्ञेय अपराध के होने का संदेह पैदा होता है।

“The true test for a valid FIR, as laid down in Lalita Kumari, is only whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence which the police officer concerned is empowered... to investigate... On such consideration, this Court refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001882025

13 K. Bhaskar Rao v. The State and Others

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/16/2025

यह मामला FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह विवाद मुख्य रूप से एक नागरिक प्रकृति का है और वह एक 'bonafide purchaser' है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि Magistrate ने Section 156(3) of the Criminal Procedure Code (तथा Section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के तहत आदेश पारित करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि FIR कोई 'encyclopedia' नहीं है और जांच के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। न्यायालय ने यह माना कि चूंकि जांच अभी जारी है और कोई charge sheet दाखिल नहीं की गई है, इसलिए इस स्तर पर FIR को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी कोई संपूर्ण दस्तावेज़ नहीं है। पुलिस को संज्ञेय मामलों में प्राथमिकी दर्ज करके पूरी जांच करने की स्वतंत्रता है, और इस प्रक्रिया को बीच में रोकना कानून की भावना के खिलाफ है।

“FIR is not an encyclopedia disclosing all facts and details relating to the offence. The true test of a valid FIR is to ascertain whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence to be investigated... refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001912025

14 Sahadev Sahoo v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/15/2025

यह मामला FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो अचल संपत्ति के लेनदेन में धोखाधड़ी के आरोपों के कारण दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद प्रकृति में नागरिक (civil) है और यह मुख्य रूप से खरीदारों और ब्रोकर के बीच है। न्यायालय ने कहा कि FIR केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और यह जांच का अंत नहीं है। न्यायालय ने कानून के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि जांच के प्रारंभिक चरण में FIR को रद्द करना

अनुचित है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कोई charge sheet दाखिल नहीं की गई है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और जांच जारी रखने की अनुमति दी।

निर्णय न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि संज्ञेय अपराध के प्रारंभिक साक्ष्य और प्राथमिकी के पंजीकरण के बाद जब तक कि जांच निष्कर्ष पर न पहुंच जाए, अदालतों को अंतर्निहित शक्तियों के तहत प्राथमिकी को निरस्त नहीं करना चाहिए।

“Requirements of Section 157 are higher than the requirements of Section 154 of the Criminal Procedure Code. Further, a police officer in a given case after investigation can file a final report... this Court refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001902025

15 T. Madhavi v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/12/2025

यह मामला एक संपत्ति विवाद से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने Magistrate द्वारा FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि विवाद प्रकृति में नागरिक (civil) है और Magistrate ने मामले पर उचित विचार नहीं किया। न्यायालय ने माना कि FIR कोई संपूर्ण दस्तावेज नहीं है और इसका उद्देश्य केवल संज्ञेय अपराध (cognizable offence) के संदेह की पुष्टि करना है। चूंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए न्यायालय ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने वर्तमान चरण में FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब संज्ञेय अपराध का संदेह बनता है, तो कानून पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश का समर्थन करता है। जांच पूरी होने से पहले प्राथमिकी निरस्त नहीं की जा सकती।

“Although it prima facie appears that the disputes are essentially... it would be inadvisable at this stage to quash the FIR as the investigation has not yet been concluded and no charge sheet has been filed. It is equally possible that at the conclusion of the investigation, the final report may not include the name of the petitioner.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001872025

16 Vinita Sharma v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/14/2025

यह मामला जमीन की बिक्री से जुड़े एक विवाद से संबंधित है, जहां याचिकाकर्ता ने FIR को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि विवाद मुख्य रूप से खरीदारों और दलालों के बीच का नागरिक (civil) विवाद है और Magistrate ने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश देते समय उचित विचार नहीं किया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व स्थापित नियमों के अनुसार संज्ञेय प्राथमिकी की प्रारंभिक जांच के निरस्तीकरण को अस्वीकार किया, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले मामले की पूरी हकीकत का पता नहीं लगाया जा सकता।

“Requirements of Section 157 are higher than the requirements of Section 154 of the Criminal Procedure Code. Further, a police officer in a given case after investigation can file a final report... refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001892025

17 Aneena Anto v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/11/2025

यह मामला संपत्ति के लेन-देन में कथित धोखाधड़ी और मध्यस्थ (broker) की भूमिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और Magistrate द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश बिना उचित विचार के दिया गया था। इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि FIR जांच का अंत नहीं है और इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं है। न्यायालय ने माना कि FIR को रद्द करने के लिए यह बहुत प्रारंभिक चरण है क्योंकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और कोई charge sheet दाखिल नहीं की गई है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि जांच लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता का नाम अंत में नहीं भी हो सकता है। अंततः, न्यायालय ने FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत से संज्ञेय कृत्य का संदेह उजागर हो रहा है, तो प्राथमिकी की जांच की प्रक्रिया को कानून के स्थापित प्रावधानों के अनुसार अंत तक पहुंचाया जाना चाहिए।

“The true test for a valid FIR, as laid down in Lalita Kumari, is only whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence... On such consideration, this Court refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001862025

18 Sana v. State of UT Chandigarh

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-05-12 • CRM-M/16902/2025

यह मामला FIR No. 185, दिनांक 24.11.2024 (जो Sections 305, 331(3), 324(4) और 61(2) BNS के तहत दर्ज की गई थी) को रद्द करने के लिए दायर याचिका से संबंधित है। पक्षों के बीच एक समझौता होने के बाद, अदालत ने संबंधित Judicial Magistrate 1st Class, Chandigarh से रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें पुष्टि हुई कि समझौता स्वैच्छिक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने Gian Singh vs. State of Punjab के सिद्धांतों का पालन करते हुए कहा कि न्याय के हित में और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे मामलों में समझौता मान्य है। तदनुसार, अदालत ने FIR और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया, बशर्ते याचिकाकर्ता PGIMER, Chandigarh के 'Poor Patient Welfare Fund' में 20,000 रुपये जमा करें।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों में समझौते की सत्यता की पुष्टि होने के बाद, समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ शर्तों और सामाजिक योगदान (जैसे गरीब मरीज कल्याण कोष में जमा) के साथ प्राथमिकी निरस्त की जा सकती है।

“In view of the afore-referred judgments, perusing the report of the trial Court regarding amicable settlement... this Court finds that quashing the FIR will accord a quietus to all disputes between the parties and it is in the interest of both sides to bury the hatchet and lead a peaceful life. Thus, no useful purpose would be served in continuing the proceedings...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010486582025

19 Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-11-06 • 2025 INSC 1288

यह मामला गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार (grounds of arrest) की लिखित सूचना देने की अनिवार्यता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Article 22(1) के तहत यह एक मौलिक अधिकार है और इसे केवल औपचारिकता नहीं माना जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में आधार सूचित करना अनिवार्य है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां लिखित सूचना तुरंत देना व्यावहारिक न हो, पुलिस मौखिक रूप से आधार बता सकती है, लेकिन उन्हें रिमांड कार्यवाही से कम से कम दो घंटे पहले लिखित प्रति देनी होगी। इस प्रक्रिया का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होता है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना और लापरवाही से मौत (BNS और मोटर यान अधिनियम के तहत) के गंभीर मामलों के संदर्भ में भी स्पष्ट किया कि आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसे लिखित में आधार सौंपना एक अनिवार्य कानूनी आवश्यकता है जिसका उल्लंघन गिरफ्तारी को दूषित करता है।

“FIR No. 378/2024 was registered at Worli Police Station under the relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (“BNS 2023”), and the Motor Vehicles Act, 1988... challenge against the legality of arrest... Whether in each and every case... would it be necessary to furnish grounds of arrest to an accused either before arrest or forthwith after arrest...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010005712025

20 Naranbhai Rupabhai Mata v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2012-03-20 • CR.MA/11495/2009

यह मामला एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है जिसमें एक ट्रक पलटने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन बाद में ट्रक के मालिक (आवेदक) को भी आरोपी बना लिया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि FIR में मालिक के खिलाफ किसी भी आपराधिक कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया था और भारतीय दंड संहिता या मोटर वाहन अधिनियम के तहत मालिक पर 'vicarious liability' का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि वह दुर्घटना के समय गाड़ी नहीं चला रहा था। न्यायालय ने माना कि आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और FIR को आवेदक के संबंध में रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 134 के तहत दुर्घटना के बाद घायल को चिकित्सा सहायता और पुलिस रिपोर्टिंग का कर्तव्य केवल चालक पर लागू होता है, और मालिक को चालक के इस कृत्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

“Section 134 of the Motor Vehicles Act provides for duty of driver in case of accident and injury to a person. In the facts of the present case, admittedly the applicant herein was not driving the vehicle in question and as such, the said provision would also not be applicable qua the applicant herein... he cannot be made vicariously liable for the criminal act on the part of the driver of the vehicle...”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2012

स्रोत GJHC240367872009

21 Rohit Das v. The State and Others

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRREXTN0/10/2025 (CRR/10/2025)

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो संपत्ति के लेन-देन में कथित धोखाधड़ी के कारण दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति (civil in nature) का है और मजिस्ट्रेट ने Section 156(3) Cr.P.C. (या Section 175(3) BNSS) के तहत आदेश पारित करते समय उचित विचार नहीं किया। न्यायालय ने यह माना कि FIR का उद्देश्य जांच शुरू करने के लिए संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का संदेह पैदा करना है, न कि सभी तथ्यों का पूरा विवरण देना। चूंकि जांच अभी चल रही है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, न्यायालय ने इस स्तर पर FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि कानून के तहत जब तक पुलिस के पास संज्ञेय अपराध का संदेह पैदा करने वाली पर्याप्त जानकारी है, तब तक प्राथमिकी को रद्द करना अनुचित है क्योंकि प्राथमिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

“The true test for a valid FIR, as laid down in Lalita Kumari, is only whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence... Requirements of Section 157 are higher than the requirements of Section 154 of the Criminal Procedure Code... refuses the prayer for quashing at this stage.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001852025

22 Guru Swain v. State of Odisha

ORISSA HIGH COURT • 2025-10-16 • CRLMC/1621/2025

यह मामला आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विवाद एक नागरिक विवाद (civil dispute) के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसे अब स्थानीय हस्तक्षेप के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। शिकायतकर्ता ने भी शपथ पत्र दाखिल कर कार्यवाही को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, धारा 296 और 76 के तहत अपराधों को रद्द कर दिया। अन्य अपराधों के संबंध में, न्यायालय ने पक्षों को संबंधित ट्रायल कोर्ट में Section 359 of the B.N.S.S., 2023 के तहत समझौता आवेदन दायर करने की अनुमति दी है।

निर्णय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पक्षों में वास्तविक सुलह होने पर, वे ट्रायल कोर्ट में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 359 के तहत समझौता योग्य अपराधों के लिए समझौता आवेदन दायर कर सकते हैं, तथा गैर-समझौता योग्य अपराधों को अदालत रद्द कर सकती है।

“Since the background of the present case is a civil dispute and that the same has been amicably resolved... permitting to continue the present criminal proceeding would cause wastage of valuable judicial time... So far other offences are concerned, the parties are granted liberty to approach the trial court by filing an application under Section 359 of the B.N.S.S., 2023 for compounding...”

ORISSA HIGH COURT • 2025

स्रोत ODHC010246532025

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।